भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 254

दिनांक 19.11.2019/28 **कार्तिक**, 1941 (**शक**) **को उत्तर के लिए**

अवैध बांग्लादेशी प्रवासी

†254. **श्री थोमस चाज़िकाडनः**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को केरल में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की अत्यधिक उपस्थिति की ओर संकेत करने वाली कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई खुफिया जानकारी प्राप्त हुई है;

(घ) क्या केरल सरकार ने उक्त अवैध प्रवासियों का पता लगाने के लिए किसी सहायता का निवेदन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग): अवैध अप्रवासी गुप्त रूप से और चोरी-छिपे बिना किसी वैध यात्रा दस्तावेज़ के देश में प्रवेश कर जाते हैं। बांग्लादेशी राष्ट्रिकों सहित अवैध रूप से रह रहे इस प्रकार के विदेशी राष्ट्रिकों का पता लगाना, उन्हें निरूद्ध करना और निर्वासित करना एक सतत प्रक्रिया है। देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों को विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3(2)(ड.) के तहत निरूद्ध करने तथा ऐसे विदेशी राष्ट्रिकों को विदेशी विषेयक अधिनियम, 1946 की धारा 3(2)(ग) के तहत निर्वासित करने की शक्तियां केंद्र सरकार में निहित हैं। अवैध रूप से रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों को निरूद्ध करने और निर्वासित करने की ये शक्तियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 258(1) के तहत केरल सहित राज्यों सरकारों को भी सौंपी गई हैं।

(घ) और (ड.): उपलब्ध जानकारी के अनुसार, केरल सरकार से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

*****